कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 2185 / FP/UK/ROAD/42789/2019 देहरादूनः दिनांकः 14 फरवरी, 2020

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–15 के अन्तर्गत सौरा–सारी–सिल्ला से पिंलग मोटर मार्ग (8.50 किमी0) के निर्माण हेतु 6.74 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/42789/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी, द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत **6.74** है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती, द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
13/2/20
(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/42789/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
5. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी ।
7. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद–उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–15 के अन्तर्गत सौरा–सारी–सिल्ला से पिंलग मोटर मार्ग (8.50 किमी0) के निर्माण हेतु 6.74 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/42789/2019)

जनपद–उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–15 के अन्तर्गत सौरा–सारी–सिल्ला से पिंलग मोटर मार्ग (8.50 किमी0) के निर्माण हेतु 6.74 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 5.681 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 1.059 हे0 सिविल सोयम वन भूमि अर्थात कुल 6.74 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी एवं वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनामः
हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः (D. J. K. Sharma)
APCCF & NODAL OFFICER (FC)
(UTTARAKHAND, DEHRADUN

तिथि : 13 /02/2020
स्थान : देहरादून